अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः15.07.2015

समस्त जिला कलेक्टर्स
राजस्थान।

विषयः– शेष नागरिकों का भामाशाह नामांकन करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 14.07.2015 द्वारा राज्य में 15 अगस्त 2015 से राजकीय योजनाओं के लाभ भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से दिये जाने हेतु विभागीय योजनाओं के डेटा को भामाशाह डेटा हब में सीडिंग कार्य की योजना निर्धारित कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे। राजकीय योजनाओं के सभी लाभार्थियों को भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण हेतु राज्य के **सभी परिवारों तथा नामांकित परिवारों के शेष सदस्यों का भामाशाह नामांकन** होना आवश्यक है। जिले में **भामाशाह नामांकन की स्थिति की भी कलक्टर्स कांफ्रेंस दिनांक 22 जुलाई में समीक्षा** की जायेगी।

अतः इस संबंध में आप संलग्न प्रपत्र में उल्लेखित तिथिवार अपने जिले के लिए भामाशाह नामांकन के लक्ष्य निर्धारित कर दो दिन में इस विभाग को अवगत करावें तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार भामाशाह नामांकन करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रति सप्ताह लक्ष्य के विरूद्ध के नामांकन की नियमित रिपोर्ट भी प्रेषित करें ताकि मुख्य सचिव महोदय को साप्ताहिक रूप से प्रगति से अवगत करवाया जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 15.07.2015

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अति जिला कलेक्टर्स..................................
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग................................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला...................
4. समस्त उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी व तहसीलदार ....

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग